न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

फुलचन्द बनाम रामेश्वर वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु.नं.- 14/2019	
29.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत- झाड़ली में पेश हुई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत- झाड़ली में आयोजित शिविर में उपस्थित वादी की पहचान श्री मगन कॅवर, सरपंच, ग्राम पंचायत झाड़ली के द्वारा की गई एंव उपस्थित प्रतिवादी रामेश्वर की पहचान श्री कानाराम पूनियॉ एडवोकेट प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को ग्राम पंचायत- झाड़ली में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के मजमे-ए-आम में सुनाया गया। (देवेन्द्र सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः- झाड़ली	अ.नि. फुलचन्द फुलचन्द मगन कॅवर सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ली श्रीमाधोपुर, सीकर, राज. रामेश्वर प्रतिवादी रामेश्वर को पहचानता हूँ Kanaram Punia

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः– झाड़ली
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2019	2019/022	11.03.2019	29.11.2021

उनवान

1. फूलचन्द पुत्र जवाहरा आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र जवाहरा उम्र– 53 साल
   जाति माली निवासी झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
3. उप पंजीयक अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर।
4. पटवारी हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री कानाराम पूनियां, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 2

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3900 रकबा 0.01

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर व खसरा नम्बर 3901 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टर तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी 1/28 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में दिनांक 8.7.2016 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग तस्दीक करवा दिया था जबकि राजस्व कर्मचारियों ने उक्त सम्पूर्ण हिस्से में से 1/28 हिस्से का राजस्व रिकार्ड सहवन से प्रतिवादी नं. 1 के नाम यथावत रखा। उक्त सम्पूर्ण भूमि का कब्जा वादी ने विधिवत प्राप्त कर लिया था तथा वादी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने वर्तमान में फसल काश्त कर रखी है। इस प्रकार वादी निरन्तर रूप से काबिज काश्त रहने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थें। वादी आज भी लगातार बहैसियत खातेदार काश्तकार इस जमीन पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने राजस्व कर्मचारियों को उक्त हकत्याग लेख के जरिये खातेदारी वादी के नाम कराने बाबत हकत्याग की प्रति दे दी थी जिस पर उन्होनें खातेदारीजल्दी ही वादी के नाम अंकित कराने की कहीं। जिस पर वादी राजस्व कर्मचारियों के विश्वास में रहा। वादी ने उक्त भूमियों को लाखों रूपए लगाकर उन्नत एंव उपजाउ बनाया है तथा वादी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। प्रतिवादी उक्त हकत्याग लेख से भी पूर्णतया पाबन्द है और उसके विपरित कार्य करने से स्टोप्ड है। वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी रिकार्ड वादी के नाम दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है।

वादी ने प्रतिवादी को उपरोक्त हकत्याग की गई भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु अब प्रतिवादी के मन में बदनियति आ जाने से दिनांक 15.01.2019 को इन्कार होने से वादकारण पैदा होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी ने वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण का पेश कर निम्नानुसार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि :– ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि [illegible] 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 3901 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टर के 1/28 हिस्से का वादी को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्से से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने [illegible] निवेदन वकील वादी के द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी नं. 1 ने दिनांक 06.09.2019 को वादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया जा चुका है। प्रतिवादी नं. 2 व 3 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 17.02.2020 को एंव प्रतिवादी नं. 4 के विरूद्ध दिनांक 02.09.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में वादी फूलचन्द का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– झाड़ली में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता श्री कानाराम पूनियां एड0 के साथ उपस्थित होकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने बाबत अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। इस बाबत शिविर में उपस्थित वादी व प्रतिवादी नं. 1 ने सहमति बतौर आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये है। जिसमें उपस्थित वादी की पहचान श्रीमती मंगन कॅवर, सरपंच, ग्राम पंचायत झाड़ली व प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री कानाराम पूनियां एडवोकेट प्रतिवादी के द्वारा की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दौराने शिविर ही मजमे–ए–आम में ही बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी की सहमति व राजीनामा के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, 2074–2077 जमाबन्दियों में वादी व

22/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत ग्राम पंचायत झाड़ली के मजमे-ए-आम में उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पक्ष में पेश राजीनामा दिनांक 06.09.2019 से सहमत होना व्यक्त किया है। उक्त, वादग्रस्त भूमियों पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के पैत्रक भूमियॉ होने से एंव उपस्थित पक्षकारान् में प्रतिवादी के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर अपनी सहमति दिये जाने से वादी व प्रतिवादी के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा लोक अदालत की भावना से की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरारहक स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3900 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 3901 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टर के 1/28 हिस्से का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा 1/28 से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

29/11/21

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः-- झाड़ली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:18:48 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– झाड़ली के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– झाड़ली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:48 IST
Reason: SelfAttested